[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 10/2017- एकीकृत कर

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. ..... (अ)–केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, कराधेय सेवाओं की अंतरराजयिक पूर्ति करने वाले व्यक्ति को, और जिसका, अखिल भारतीय आधार पर संगणित, सकल आवर्त किसी वित्तीय वर्ष में बीस लाख रूपए की रकम से अधिक नहीं है, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :

परंतु संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष प्रवर्ग राज्यों" के मामले में, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, ऐसी पूर्ति का, अखिल भारतीय आधार पर संगणित, सकल मूल्य दस लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं होगा ।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार